न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1118/2004/चित्तौड़गढ़</u>

उमराव खां पुत्र अलफ खां (मृतक) जरिए वारिसानः–

1– नसीर खां पुत्र उमराव खां मृतक जरिए वारिसान

1/1– मेहरूनिशा बी. पत्नी नासीर खां

2/1– रशीद पुत्र नासीर खां

1/3– वाईज पुत्र नासीर खां

1/4– नदीम खां पुत्र नासीर खां

2– वली उल्लाह पुत्र उमराव खां मृतक जरिए वारिसान–

2/1– जहांगीर पुत्र वली उल्ला

2/2– मुसलीम वाज पुत्र वली उल्ला

2/3– फरहत बी. पुत्री वली उल्ला

2/4– शीरत बी. पुत्री वली उल्ला

3– जसफउल्ला पुत्र उमराव खां

4– एजाज उल्ला पुत्र उमराव खां मृतक जरिए वारिसान–

4/1– जरीना पत्नी एजाज उल्ला

4/2– इखवत नवाज पुत्र एजाज उल्ला

4/3– सोहेब पुत्र एजाज उल्ला

4/4– रूकिया बी. पुत्री एजाज उल्ला

5– जहीद खां पुत्र उमराव खां

6– मु. उल्फतबी पुत्री उमराव खां पत्नी रफीक मोहम्मद समस्त निवासीगण विलायतखेड़ी तहसील सांवा जिला चित्तौड़गढ़।

–वादीगण/अपीलांटस

बनाम

1– नवाब खां पुत्र अलफ खां मृतक जरिए वारिसान–

1/1– जुबेर खां पुत्र नवाब खां

1/2– शाहिद खां पुत्र नवाब खां

1/3– निशाद पुत्री नवाब खां पत्नी वाजिद खां निवासी हुसैन टेकरी के पास जावरा मध्यप्रदेश।

1/4– फमिदा पुत्री नवाब खां पत्नी मजर खां निवासी रतलाम मध्यप्रदेश।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मूलचंद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री अशोक माथुर, श्री हरदत्त सहारण, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः– 07.10.2024

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील संख्या 211/2002 उनवानी उमराव खां बनाम नवाब खां में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने सहायक कलक्टर, प्रतापगढ़ के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि मौजा टिमरवा तह0 प्रतापगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते व कब्जे की आराजी संख्या 193 रकबा 61 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी संख्या व रकबा हाल सेटलमेंट के पूर्व के है। उक्त आराजी संख्या 193 वाकै मौजा टिमरवा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते व कब्जे की होने से सन् 1973 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी संख्या 193 का उक्त हिस्सों के माफिक आपस में बंटवारा कर लिया है तथा उक्त आपसी बंटवारें में उक्त आराजी का 1/2

हिस्सा उत्तर की ओर का वादी के हिस्से बंटवारे में आया तथा आधा हिस्सा दक्षिण की ओर का प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से बंटवारे में आया तब से ही उक्त आपसी बंटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु उक्त आपसी बंटवारे के अनुसार आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते में दर्ज नहीं हुई। अभी संवत् 2039–40 में जो सेटलमेंट हुआ उसमें उक्त आराजी संख्या 193 रकबा 61 बीघा 01 बिस्वा के नए आराजी संख्या 124 रकबा 12.63है0 तथा 125 रकबा 00–09 है0 कुल किता 2 रकबा 12.72है0। जिसका विभाजन वादी के हिस्से में आराजी नंबर 124 रकबा 6.36है0 उत्तर दिशा में व दक्षिणी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आरजी संख्या 124 रकबा 6.36 है0 व आराजी संख्या 125 रकबा 0.09 है0 आपस में बंटवाडा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुती के करीब आठ दिन पूर्व प्रतिवादी का आपसी विभाजन के अनुसार खाता अलग–अलग कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी द्वारा इंकार कर दिया गया। जिस कारण से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावें। जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.09.2002 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.01.2004 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 में वर्णित विधिक प्रावधानानुसार रिकार्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत का तनकीवार विवेचन कर प्रत्येक तनकी पर पृथक–पृथक निर्णय करना आवश्यक है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि विवादित आराजीयात बंदोबस्त से पूर्व वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज थी। किन्तु

बंदोबस्त् कार्यवाही के बाद बंदोबस्त अधिकारी ने विवादित आराजी के हाल नंबर 124 रकबा 12.63 है0 व 125 रकबा 0.09है0 रेस्पो0 के नाम अकेले दर्ज कर दिया, जबकि अपीलांट एवं रेस्पो0 विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे। विधि का यह सर्वविधित सिद्धांत है कि बंदोबस्त कार्यवाही में किसी खातेदार का नाम रिकार्ड से तर्क नहीं किया जा सकता है जब किसी पक्ष की कोई आपत्ति होती है तो सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवा सकता है अन्यथा जो पूर्व में राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियां है, को जैसी है वैसी ही अंकित करनी चाहिए थी। किन्तु बंदोबस्त विभागन ने बंदोबस्त कार्यवाही में पूर्व प्रविष्ठियों को बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तन कर दिया। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। रेस्पो0 ने अपनी मौखिक शहादत में स्वयं यह माना है कि विवादित आराजी संयुक्त रूप से शामलाती की है। जिस का हम दोनों भाई इस्तेमाल करते हैं जिससे बखूबी साबित है कि विवादित आराजी संयुक्त कब्जे काश्त की है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 वादी/अपीलांट के विरूद्ध तय करने में त्रुटि कारित की है । उक्त तनकी के संबंध में अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजीयात पूर्व बंदोबस्त राजस्व रिकार्ड में अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं दोनों आपस में सगे भाई है। उक्त तनकी को साबित कराने हेतु अपीलांट व अपीलांट के गवाहान के बयानों में यह माना कि मौके पर उत्तर दिशा की भूमि पर अपीलांट का कब्जा है तथा दक्षिण दिशा की भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा माना। विवादित आराजी का बंटवारा दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति से पंचों के मार्फत किया गाय था। जिसकी नकल भी अपीलांअ द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.01.2004 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2002 निरस्त किया जावें तथा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । आगे कथन किया कि वादी ने वादी एवं प्रतिवादी दोनों की संयुक्त भूमि आराजी नंबर 193 जो बाद में नवीन नंबर आराजी नंबर 124 एवं 125 होकर कुल रकबा 12.72 मे

6.36, 6.36 है0 बताकर अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किया था। जो वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त नाम से नहीं रही है । प्रतिवादी नवाब खां के नाम से ही खसरा खाता में दर्ज है तथा दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई संयुक्त कब्जा नहीं रहा है और नहीं है। इस प्रकार किसी प्रकार का कोई बंटवारा भी नहीं हुआ है। वादी ने उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त बताकर सर्वप्रथम वाद 1977 में उपखण्ड प्रतापगढ़ में पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 15. 09.89 को होकर वादी का वाद प्रतिवादी के नाम भूमि होने से व वादी द्वारा किसी प्रकार बंटवारेनामे का सबूत पेश नहीं करने पर निरस्त हुआ था। जिसके विरूद्ध अपील की गई जो भी दिनांक 23.04.1993 को निरस्त हो चुकी है। इसके बावजूद वादी ने दूसरी बार उक्त आराजी संख्या 124 एवं 125 को संयुक्त बताकर बंटवारे हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण संख्या 181/93 था जिसमें वादी द्वारा अपने बयान में 1973 में आधे आधे हिस्से का बंटवारा कर लिया जाना बताया किन्तु वादी द्वारा इसके संबंध में कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नही किए इस कारण वादी का वाद दिनांक 03.09.2002 को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट खसरा संख्या 124 एवं 125 उभयपक्षों की संयुक्त आराजी बताकर अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किया था इस संबंध प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 में अपने बयान में कहा था कि संयुक्त नाम से उक्त भूमि नहीं है और नहीं संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। प्रतिवादी नवाब खां के नाम से ही खसरा खाते में दर्ज है। विवादित भूमि संवत् 2002 में नवाब खां के नाम दर्ज थी एवं यही स्थिति 2007 से 2010 की है। इसलिए वादी का कथन कि संयुक्त खातेदार था उचित नहीं होने से अधी0न्याया0 द्वारा वाद निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन मे आर0आर0डी0 2001 पेज 324, आर0आर0डी0 1998 पेज 617 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया/अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत

विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर कथन किया कि मौजा टिरवा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते व कब्जे की आराजी खसरा नंबर 194 रकबा 61 बीघा स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबिज है । इसमें 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है जिसका सन् 1973 में आपसी रजामंदी से बंटवारा कर लिया था जिसके अनुसार उत्तर दिशा की भूमि वादी के व दक्षिण दिशा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आयी थी। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 के अनुसार के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 193 नवाब खां के नाम दर्ज है । प्रदर्श 2 व 3 में भी उक्तानुसार इंद्राज है । नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 193 के नवीन खसरा नंबर 124 व 125 बने है । विवादित आराजी कभी भी वादी/अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी ने पेश नहीं किया है । केवल मात्र वादी के कथनानुसार वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1998 पेज 616 में यह अभिमत निर्धारित किया गया है कि– ''Rajasthan Tenancy Act, Section 88[53 & 188- Trial court dismissed suit-Order, confirmed in appeal-Second appeal-Held, land in dispute is recorded in the revenue record in name of 'R' alone- There is no mention of the name of plaintiff-appellant or common ancestor B as father-plaintiffs failed to prove their version then how can a decree of partition be given in favour of plaintiffs=appeallants-Concurrent findings of courts below, confirmed-R.A.A.rightly confirmed the order of trial court dismissing the suit.''

वाद को सिद्ध करने का भार स्वंय वादी पर था जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है। जहां तक पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में वादी ने ऐसी कोई लिखत या दस्तावेज पेश नहीं जिससे उसके उक्त कथन की ताईद होती हो । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् वादी ने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 185/77 बउनवानी उमराव खां बनाम नवाबखां पेश किया था जो दिनांक 15.09.1989 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था तथा इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी खारिज हो चुकी है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित करने में

पूर्णतया असफल रहे है इसी कारण विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है ।

9— माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया हुआ है कि जहां पर प्रकरण में कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित/प्रकट नहीं होवें उस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जावे । जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0डी0 2007 पृष्ठ संख्या 587 पर रिट पिटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि—''**Held, the concurrent finding of fact arrived at by the two court below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue. (Para 7)** ''

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए0आई0आर0 1999 पृष्ठ संख्या 2213 में यह अभिमत निर्धारित किया गया है कि— —''**Second appeal-Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.** ''

10— उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

11— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13—01—2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03—09—2002 यथावत् रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य